

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/1250/2024, लखनऊ, दिनांक :: 14.10.2024

संशोधित आदेश

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली - 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन
माह नवम्बर, 2024 हेतु आदेश सं0 1196/2024 दिनांक 09.10.2024 द्वारा गठित युगल पीठ
का आंशिक संशोधित कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क0सं 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगलपीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05	
1	पीठ-मुरादाबाद	पीठ-मुरादाबाद	दि0 28.11.2024 से 30.11.2024	सदस्य पीठ अलीगढ़ सदस्य, पीठ मुरादाबाद	न्यायिक विभागीय
2	पीठ बरेली	पीठ बरेली	दि0 25.11.2024 से 27.11.2024	सदस्य पीठ बरेली सदस्य, पीठ -2, लखनऊ	न्यायिक विभागीय
3	पीठ -1 लखनऊ	पीठ -1, 2 व 3 लखनऊ	दि0 04.11.2024 से 08.11.2024 दि0 18.11.2024 से 21.11.2024	सदस्य, पीठ-1 लखनऊ सदस्य, पीठ-2 लखनऊ सदस्य, पीठ-1, लखनऊ सदस्य, पीठ-3 लखनऊ	न्यायिक विभागीय न्यायिक विभागीय

कम सं0 01 पर अंकित कार्यक्रम सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण पीठ मुरादाबाद के पत्र
सं0 333/2024 दि0 10.10.2024 के अनुक्रम में, कम सं0 2 पर अंकित पीठ गठन कार्यक्रम
वैयक्तिक सहायक की अनुपलब्धता के कारण एवं कमांक 03 पर अंकित कार्यक्रम सदस्य, वाणिज्य
कर अधिकरण, पीठ-3, लखनऊ के पत्र संख्या 612/2024 दिनांक 10.10.2024 के अनुक्रम में पूर्व
गठित कार्यक्रम आदेश दिनांक 09.10.2024 की तिथियों में संशोधन किया जा रहा है। शेष स्थिति
यथावत बनी रहेगी।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय/अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह/-14.10.2024

(रणधीर सिंह)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक :: यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ-मुरादाबाद, पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ, बरेली व अलीगढ़।
- 2- मुन्सरिम/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर/वेब अधिकारी मुख्यालय।
- 3- संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,



निबंधक,

वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।